JALAUN POLICE

दिनांक – 03.09.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को 2 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– अभियुक्त कृपाराम कुशवाहा पुत्र बालकिशुन नि0 ग्राम पिपरीकला थाना कैलिया जनपद जालौन द्वारा वादी के भाई के साथ मारपीट करना व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज करना। जिसके सम्बन्ध में वादी श्री लखनलाल पुत्र झम्मनलाल वर्मा नि0 ग्राम पिपरीकला थाना कैलिया जनपद जालौन की तहरीर के आधार पर दिनांक 14.01.2021 को थाना कैलिया में मु0अ0सं0 04/2021 (वाद संख्या 84/21) धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द,ध एससी एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 17.02.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 03.09.2025 को मान0 न्यायालय एससी एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त कृपाराम कुशवाहा उपरोक्त को दोषी पाते हुए 2 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।